न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 74/2023

1 चम्पा देवी उम्र 55 साल पत्नी स्व. नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। मो.नं. 7073052652

अपीलांट्स

बनाम

1 बिदामी देवी आयु 77 साल पत्नी स्व. मुरलीधर जाति माली
2 गुरूदयाल उम्र 60 साल
3 मखनलाल आयु 55 साल
4 भोलूराम आयु 50 साल पुत्रगण स्व. मुरलीधर जाति माली
5 ताराचन्द उर्फ बाबूलाल आयु 45 साल
6 शंकरलाल पुत्र स्व. मदनलाल जाति नाई आयु 52 साल
समस्त निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
7 तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
8 उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधनियम 1955 खिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. श्रीमाधोपुर वाद संख्या 142/2022 जी.सी.एम.एस. 2022/242 पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री राधेश्याम बियाला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 24/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 142/2022 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बावत भूमि खसरा नम्बर 471 वाके ग्राम थोई का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं उसमें दिए गए शिडयूल के अनुसार वाद उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का था जिसमें बिदामी देवी प्रतिवादिनी के खिलाफ खातेदारी गलत रूप से अंकित हुई है और वर्तमान प्रचलित खातेदारी से बिदामी देवी का नाम हजफ होकर वादिनी के नाम खातेदारी अंकित कर एन्सीलरी रिलीफ में स्थाई निषेधाज्ञा की रिलिफ के साथ उक्त वाद केवल राजस्व न्यायालय के ही श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है। आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी बिना जवाब दावा के पोषणीय ही नहीं है। प्रतिवादी को जो भी आपत्तियां लेनी होती है वह आपत्तियां जवाब दावा में उठाने के लिए और आवश्यक स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रिलिमिनरी इश्यू बनाए जाकर प्राथमिक तौर पर उन बिन्दूओं का विवाद्यक विरचित किया जाकर निर्णय किया जा सकता है। प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 471 रकबा 0.56 है. में खातेदारी किस प्रकार प्राप्त हुई, अगर प्राप्त हुई तो वह गलत रूप से प्राप्त हुई या विधिक रूप से, यह तथ्य भी विवाधक बनाया जाकर साक्ष्य का विषय है और साक्ष्य आने के पश्चात ही उक्त तथ्य साबित किया जा सकता है। आवंटन नियम 14 (4) में उल्लेखित प्रावधान का प्रश्न है तो वह तो अपील के माध्यम से उक्त आदेश को चुनौती दी जा चुकी है परन्तु उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को सुनने का श्रवणाधिकार तो रेवेन्यू न्यायालय को प्राप्त है। वादिनी ने अपने ससुर का नाम लक्ष्मीनारायण अंकित कर दिया फिर सजरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खानदान की क्या आवश्यकता रह जाती है। सजरा खानदान तो बंटवारा के वाद में आवश्यक होता है, रहा सवाल वादिनी के काबिज होने का और उद्घोषणा अधिकार का वह प्रश्न विवाद्यक एवं साक्ष्य का है। अपील अपीलांट स्वीकार करने की कृपा करें तथा निर्णय एवं डिक्री विचारण न्यायालय दिनांक 20.06.2023 को अपास्त कर मूलवाद को विधि अनुसार विचारण करने के आदेश फरमाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2019(3) राज पेज 2371 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 471 वाके ग्राम थोई का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में वादिया द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 7 के पिता के हक में हुये नियमन आदेश मिसल नम्बर 6035 दिनांक 20.02.1969 के आधार पर दर्ज हुए राजस्व रिकार्ड व खातेदारी को चुनौती देते हुए इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) की घोषणा के साथ उक्त भूमि का स्वयं के खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। जिसके संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 का नियम 14 (4) उल्लेखनीय हैः— 14(4):— उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा निरसन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन—पत्र पर रद्द करने की जिला कलेक्टर की शक्ति होगी यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी शर्त को भंग किया हो। इस प्रकार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के विधिक प्रावधानों के आलोक में किसी भी आवंटन/नियमन को रद्द करने या निरस्त या शुन्य घोषित करने या इन्इफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) करार देने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की अधिकारिता जिला कलेक्टर को प्राप्त है न कि इस राजस्व न्यायालय को। इसके संबंध में महत्वूपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादिया के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत नियम 20 (2) सपठित नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 मुकदमा नम्बर 85/2022 उनवानी चम्पा देवी बनाम शंकरलाल वगे. पत्रावली ही चुनौती देते हुए उक्त नियमन आदेश को व उसके अनुक्रम में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है। वादिया द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में किए गए नियमन आदेश को सक्षम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना में वैधानिक आधार पर चुनौती दी गई है तथा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त नियमन/आवंटन को निरस्त/रद्द करके इस भूमि के राजस्व रिकार्ड से उक्त इन्द्राजात को नही हटाया जाता तक तक वादिया को इस भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये नियमन/आवंटन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुये इन्द्राजात को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम 1970 के प्रावधानों के तहत ही चुनौती दी जाकर नियमन/आवंटन को निरस्त/रद्द करवाया जा सकता है। इसके अलावा वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी सं. 7 व उसकी माता द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र को भी इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) घोषित करार करने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि उक्त विक्रय लेख की कोई विशिष्टियां वादिया द्वारा अपने वादपत्र में नही दी गई है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा ही इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) घोषित किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज को इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (बअदम व बेअसर) घोषित करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलान्ट का वाद आदेश 07 नियम 11 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 471 वाके ग्राम थोई का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादिया द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 7 के पिता के हक में हुये नियमन आदेश मिसल नम्बर 6035 दिनांक 20.02. 1969 के आधार पर दर्ज हुए राजस्व रिकार्ड व खातेदारी को चुनौती देते हुए इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) की घोषणा के साथ उक्त भूमि का स्वयं के खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है।

इसके संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 का नियम 14 (4) उल्लेखनीय हैः— 14(4):— उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा निरसन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन—पत्र पर रद्द करने की जिला कलेक्टर की शक्ति होगी यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी शर्त को भंग किया हो।

इस प्रकार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के विधिक प्रावधानों के आलोक में किसी भी आवंटन/नियमन को रद्द करने या निरस्त या शुन्य घोषित करने या इन्इफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) करार देने की अधिकारिता जिला कलेक्टर को प्राप्त है न कि इस राजस्व न्यायालय को।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसके संबंध में महत्वूपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादिया के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत नियम 20 (2) सपठित नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 मुकदमा नम्बर 85/2022 उनवानी चम्पा देवी बनाम शंकरलाल वगे. पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें वादिया द्वारा इस वादपत्र के समान अभिवचनों के आधार पर ही चुनौती देते हुए उक्त नियमन आदेश को व उसके अनुक्रम में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है।

वादिया द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में किए गए नियमन आदेश को सक्षम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना में वैधानिक आधार पर चुनौती दी गई है तथा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त नियमन/आवंटन को निरस्त/रद्द करके इस भूमि के राजस्व रिकार्ड से उक्त इन्द्राजात को नही हटाया जाता तक तक वादिया को इस भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये नियमन/आवंटन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुये इन्द्राजात को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम 1970 के प्रावधानों के तहत ही चुनौती दी जाकर नियमन/आवंटन को निरस्त/रद्द करवाया जा सकता है। इसके अलावा वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी सं. 7 व उसकी माता द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र को भी इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) घोषित करार करने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि उक्त विक्रय लेख की कोई विशिष्टियां वादिया द्वारा अपने वादपत्र में नही दी गई है।

किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा ही इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) घोषित किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज को इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (बअदम व बेअसर) घोषित करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलान्ट का वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर